न्यायालय वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ–देहरादून।

उपस्थितः मलिक मजहर सुलतान, एच0जे0एस0,.....अध्यक्ष।

राकेश वर्मा.....सदस्य।

द्वितीय अपील संख्याः 17/2025 (वर्ष 2017–18).....धारा 63 के अन्तर्गत

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

बनाम

सर्वश्री रॉकमैन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 सिडकुल रानीपुर, हरिद्वार।

विभाग की ओर से : श्री भुवन चन्द्र पाण्डे.....राज्यप्रतिनिधि एवं डि0कमि0 वा0कर।

व्यापारी की ओर से :श्री नरेश बब्बर,.....अधिवक्ता।

–::निर्णय::–

राकेश वर्मा,

यह द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड (आगे विभाग कहा जायेगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, देहरादून द्वारा प्रथम अपील संख्या –84/2022 वर्ष 2017–18 धारा–63 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 05–02–2025 के विरूद्ध इस अधिकरण में दिनांक 22–05–2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 05–02–2025 को को पारित निर्णय से उक्त अपील स्वीकार की गयी है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 05–09–2021 को अपास्त किया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपील में विवादित कर की धनराशि रू0 2,11,90,708/– निहित है।

2. प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सर्वश्री रॉकमैन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 सिडकुल रानीपुर, हरिद्वार (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा) में पंजीकृत है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दाखिल रूपपत्रों की जॉच करने पर अनियमिताए पाई गई है, जिसके सम्बन्ध में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को वैट अधिनियम की धारा–63 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया कि **''आपके द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रचलन में आने के पश्चात् दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि हेतु Natural Gas की खरीद Vat में प्रचलित सामान्य दर (20 प्रतिशत) पर की जानी चाहिए थी, क्योंकि Natural Gas जी0एस0टी0 से सम्बन्धित वस्तु नहीं है तथा जी0एस0टी0 अवधि हेतु वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त उक्त Natural Gas को वैट में प्रचलित दर के फार्म–11 से खरीद हेतु व्यवस्था 30.06.2017 से हो गई है। अतः आपके द्वारा पात्र न होते हुए भी गलत घोषणा पत्र विक्रेता को जारी किया गया है। इस कारण विक्रय पर विक्रेता व्यापारी द्वारा रियायती दर पर कर आरोपित करते हुए राजस्व क्षति पहुचॉई गई है। ''**

व्यापारी द्वारा जारी नोटिस का लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया गया। करनिर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। करनिर्धारण अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा गलती से दो फार्म–11 दिनांक 30–07–2021 को डाउनलोड किए गए। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा काफी सोच समझकर दिनांक 01–07–2017 के पश्चात् वैट के अन्तर्गत विधिक दायित्व न होने के बावजूद शून्य बिक्री का रिर्टन द्वितीय तिमाही के लिए दिनांक 28.10.2017 को दाखिल किया गया, जिसे दिनांक 21.12.2017 को रिवाईज करते हुए दाखिल किया गया और अंति रूप से दिनांक 07.02.2018 को रिवाईज रिटर्न दाखिल किया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि फार्म–11 काफी समय पश्चात् 30.07.2021 को डाउनलोड किया गया।

अतः व्यौहारी द्वारा दाखिल उत्तर को उक्त बिन्दुओं के आधार पर अस्वीकार करते हुए उनके द्वारा फार्म–11 के विरूद्ध किए गये क्रय रू0 124651223.17 पर प्रचलित सामान्य दर (20 प्रतिशत) से देय कर रू0 24930244.00 तथा वास्तव में 03 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए कर रू0 3739537.00 के अन्तर के बराबर रू0 2,11,90,708.00 की मॉग सृजित की गयी।

3. उक्त आदेश दिनांक 25–09–2021 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 05–02–2025 को पारित निर्णय द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है। प्रथम अपीलीय प्रधिकारी द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है–

''उक्त अधिनियम की धारा–63 को नियमानुसार परिभाषित किया गया है ***Section 63: Liability on Issuing False Certificate etc:*** *Notwithstanding any thing to the contrary contained elsewhere in this Act, and without prejudice to section 58 a person who issues a false or wrong certificate or declaration prescribed under any provision of this Act or the Rules framed thereunder, to another person by reason of which a tax leviable under this Act on the transaction of purchase or sale made to or by such other person ceases to be leviable or becomes leviable at a concessional rate, shall be liable to pay on such transaction an amount which would have been payable as tax on such transaction had such certificate or declaration not been issued: Provided that before taking any action under this section, the person concerned shall be given an opportunity of being heard.*

Explanation: *where a person issuing a certificate or declaration discloses therein his intention to use goods purchased by him for such purpose as will make the tax not leviable or leviable at a concessional rate but uses the same for a purpose other than such purpose, the certificate or declaration shall, for the purpose of this section, be deemed to be wrong.*

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गलत या मिथ्या प्रपत्र के विरूद्ध किये गये क्रय पर परचलित सामान्य दर तथा वास्तव में किये गये कर के भुगतान के अन्तर के बराबर का कर आरोपित करने का प्राविधान है। उक्त धारा के आरोपण हेतु यह बिन्दु विचारणीय है:–

ऐसी धनराशि के मिथ्या और गलत प्रपत्र जरी किया गया है। करनिर्धारण अधिकारी द्वारा मिथ्या और गलत प्रपत्र जारी करने के कारण उक्त कर/ अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उपरोक्त धारा में 'गलत घोषणा' (Wrong declaration) शब्द तथा ''मिथ्या प्रमाण पत्र''(False certificate) का उल्लेख किया गया है, जहां तक मिथ्या का प्रश्न है, गलत प्रमाण पत्र जारी करना है। ''गलती''(Wrong) का अर्थ किसी प्रकार की गलती से कोई कार्य करना है परन्तु मिथ्या अथवा "False" का मतलब गलत कार्य के पीछे कपट और दुरभावना भी होना है। भारत

सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड द्वारा 1992 में प्रकाशित विधि शब्दावली में "False" शब्द का अर्थ निम्नवत दिया गया है–

1. *Deceit Ful - छदम (धारा–205 भा0द0स0)*
2. *Deceptive - भ्रामक, भ्रान्त (धारा 281 भा0द0स0)*
3. *Artificial, Sham - नकली (धारा –415* (iii)(c) *भा0द0स0)*
4. *Not Corresponding to truth - मिथ्या (धारा –182 भा0द0स0)*
5. *Counterfeit, Spurious - खोटा, झूठा (धारा–267 भा0द0स0)*

उपरोक्त सभी अर्थो से स्पष्ट है कि "False" के लिए आपराधिक, दुराशय का होना आवश्यक है तभी अपराधा का गठन होगा जबकि गलत कार्य के लिए अपराधिक दुराशय होना आवश्यक नही है। हिन्दुस्तान स्टील लि0 बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा (1978) 25 एस0टी0सी0 211 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जब तक यह सिद्ध न हो कि जानबूझकर कानून की अवहेलना की गयी है या दूषित भावना से कार्य यिका गया है या बेईमानी के कारण कृत्य किया गया है तब तक केवल त्रुटि के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित नही किया जाना चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा 30.07.2021 को 02 फार्म 11 UKX1021819316789 एवं UKX1021819316690 को वैबसाइट से डाउनलोड किये गये। विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा स्वंय ही कार्यालय में उपस्थित होकर डाउनलोड दो फार्मो को जमा करते हुए वेबसाइट पर ब्लाक जानकारी न होने के कारण हुई है। यह भी बताया गया कि उक्त त्रुटि फर्म के लेखाकर को अधिनियम की जानकारी न होने के कारण हुई है। ***डाउनलोड फार्मो को विक्रेता व्यापारी सर्वश्री गेल इण्डिया, देहरादून को हैण्ड ओवर नहीं किये गये*** */फर्म अधिवक्ता द्वारा दाखिल अपील मीमों एवं सुनवाई के दौरान बताया गये तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रश्नगत प्रकरण में बिक्रेता व्यापारी सर्वश्री गेल इण्डिया, लि0 देहरादून की वर्ष 2017–18 की करनिर्धारण पत्रावली इस न्यायालय द्वारा जांच हेतु मंगवाई गयी है। करनिर्धारण पत्रावली की जांच पर पाया गया कि जिन 02 फार्म 11 का उल्लेख विद्वान करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अपने पारित आदो में उल्लेख किया गया है। उक्त दोनो फार्म पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये। पत्रावली में विद्वान करनिर्धारण अधिकारी उपायुक्त क0नि0–03 राज्य कर, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2023 की प्रति संलग्न पायी गई। विद्वान करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि विक्रेता व्यापारी सर्वश्री गेल इण्डिया, देहरादून द्वारा दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 अधिनियम लागू होने के उपरान्त प्राकृतिक गैस की कोई भी बिक्री फार्म–11 के सापेक्ष नहीं दिखायी गयी है, जो बिक्री बिना फार्म –11 की गयी है, उस पर 20 प्रतिशत की दर से ही कर आरोपित किया गया है, जिससे की प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा विक्रेता व्यापारी को कोई फार्म 11 का हस्तान्तरण नहीं किया गया है। करनिर्धारण आदेश एवं कर निर्धारण पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलकर्ता द्वारा कोई* False Certificate Issue *करते हुए विक्रेता व्यापारी द्वारा रियायती दर पर कर आरोपित करने को कहा गया हो। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा जो फार्म–11 जारी किये गये है उनका लाभ न तो सर्वश्री गेल इण्डिया द्वारा लिया है और न ही अपीलकर्ता फर्म द्वारा उक्त बिक्री पर रियायती दर से कर आरोपित किया गया है। विद्वान करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किया गया यहा उल्लेख कि अपीलकर्ता द्वारा 17 प्रतिशत की राजस्व क्षति पहुंचाई गयी है, वह तथ्यों से परे है। अतः उक्त कृत्य के लिए विक्रेता व्यापारी अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जानी चाहिए न कि अपीलकर्ता पर। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा त्रुटिवश फार्म 11 विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये है। अपीलकर्ता द्वारा उक्त प्रपत्रों का कोई लाभ लिया गया हो ऐसा*

कोई प्रमाण पत्रावली में संलग्न नही पाया गया। माननीय न्यायालयों द्वारा मामलों में अर्थदण्ड आरोपित के लिए दूषित मंशा (Mens-rea) *को आवश्यक माना गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी उक्त संबंध में दूषित मंशा को स्पष्ट करने में असफल रहे है। अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करते हुए करनिर्धारण द्वारा संगत वर्ष में आरोपित अर्थदण्ड को समाप्त किया गया। "*

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है –

I. यह कि विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, देहरादून द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–02–2025 तथ्यों के विपरीत अनुचित एवं न्याय संगत न होने के कारण अपीलीय आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

II. यह कि, कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये अपने आदेश दिनांक 25.09.2021 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है, उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

III. यह कि, व्यौहारी द्वारा स्वंय अपने अपील आधारों में दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2017 की अवधि में प्राकृतिक गैस का क्रय रियायती दर 03 प्रति0 से करने का उल्लेख किया गया है। इसका आशय हुआ कि व्यौहारी द्वारा 20 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तु का क्रय 03 प्रतिशत की दर से किया गया है। तद्नुसार व्यौहारी द्वारा धारा 4(7) का उल्लघन किया गया है, जिस हेतु व्यौहारी र उचित ही धारा 63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

IV. यह कि, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005, 01.07.2017 से निरसित किया जा चुका है। इस अधिनियम के अधीन मात्र लम्बित और लम्बित प्रकरणों के कार्यान्वयन के उपरान्त परिणामित होने वाले प्रकरण ही क्रियान्वित किये जा सकते है।

V. यह कि, व्यौहारी द्वारा सर्वश्री गेल इण्डिया लि0 से प्राकृतिक गेस का क्रय जुलाई 2017 के पश्चावर्ती तिथि में किया गया है, प्रश्नगत क्रय व्यौहारी द्वारा रियायती दर 03 प्रतिशत से किया जाना प्रकाशित होता है। प्रश्नगत क्रय के लिये व्यौहारी द्वारा 30.07.2021 का प्रारूप 11 (11) डाउनलोड करने में परिलक्षित होते है। इस प्रकार व्यौहारी द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम निरसित हो जाने के लगभग चार वर्ष पश्चात् प्रारूप 11 डाउनलोड किये गये है। यह व्यौहारी द्वारा जानबूझकर प्राकृतिक गैस से क्रय पर कम दर से कर संदत किये जाने के उद्देश्य से किया गया है।

VI. यह कि, व्यौहारी द्वारा सर्वश्री गेल इण्डिया लि0 से 01 जुलाई 2017 से 31.12.2017 के मध्य प्राकृतिक गैस का क्रय 3 प्रतिशत की दर से किया गया है जबकि प्राकृतिक गैस की बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है। सर्वश्री गेल इण्डिया लि0 भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा प्राकृतिक गैस की बिक्री पर यथा विहित दर 20 प्रतिशत से निम्न दर पर कर वसूलने का तब तक कोई कारण और आधार नहीं होगा, जब तक कि उसे क्रेता से विहित दर से निम्न दर पर कर वसूलने के निर्देश प्रापत हुये होंगे। निम्न दर से कर वसूलने से भारतीय गैस प्राधिकरण लि0 (GAIL) को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुॅचता है। क्रेता व्यौहारी को यथा विहित दर से निम्न दर पर प्राकृतिक गैस के क्रय मूल्य पर आकर्षित विहित कर की दरे से निम्न दर पर माल क्रय करने के उद्देश्य से पोर्टल से प्रारूप –11 डाउनलोड किये गये है। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के निरसित हो जाने के पश्चात् माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रवर्त रहने की दशा में, प्रचलित अधिनियम के अधीन जारी किये वाले प्रपत्रों को

कर के भार को कम करने के उद्देश्य से जारी किया जाना असत्य और त्रुटिपूर्ण प्रपत्र जारी करने की श्रेणी में आयेगा। तद्नुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित ही व्यौहारी पर धारा 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड/आरोपित किया गया है।

VII. यह कि, व्यौहारी द्वारा अपने अपील आधारो में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना कि उसके द्वारा त्रुटिवश प्रारूप –11 डाउनलोड हुये हैं तथ्यों से समर्थित नहीं है क्योंकि व्यौहारी इस तथ्य से भली–भांति अवगत है कि दिनांक 01–07–2017 से मूल्यवर्धित कर अधिनियम प्रचलन में नहीं है। इसके बावजूद व्यौहारी द्वारा रियायती दर पर प्राकृतिक गैस का क्रय किया गया है और ऐसे रियायती दर पर क्रय प्राकृतिक गैस के सम्व्यवहार को आच्छादित करने के उद्देश्य से ही व्यौहारी द्वारा प्रारूप –11 डाउनलोड किये गये हैं। यदि ऐसा नहीं होता तब व्यौहारी, विक्रेता व्यौहारी को समय से पूर्ण दर प्रश्नगत सम्व्यवहार पर कर वसूलने के लिए सूचित करते। परन्तु व्यौहारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। यहॉ तक कि व्यौहारी द्वारा प्रश्नगत सम्व्यवहार के घटित होने के चार वर्षो के पश्चात् प्रारूप –11 डाउनलोड किये है। ऐसे में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित करना कि, भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा रियायती दर से कर वसूला गया है, जिसमें क्रेता व्यौहारी का कोई दोष नहीं है, त्रुटिपूर्ण है एवं पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

VIII. यह कि, व्यौहारी का यह कथन कि उसके द्वारा त्रुटिवश प्रारूप –11 डाउनलोड किये गये हैं। यह तथ्यों से समर्थित नहीं है। प्रथम व्यौहारी इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि 01.07.2017 के पश्चात् प्रारूप –11 प्रचलन में नहीं है। इसके स्थान पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना सं0– 1000/2017 29.12.2017 द्वारा प्रारूप –डी की व्यवस्था प्रान्त में की गयी है और व्यौहारी द्वारा 12.03.2018 से विधिवत प्रारूप –डी प्राप्त किये जा रहे है। द्वितीय व्यौहारी द्वारा 01.07.2017 के पश्चात् मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 28.10.2017 को विवरणी प्रस्तुत की गयी है। जिसे व्यौहारी द्वारा 21.12.2017 एवं 07.02.2018 को परिवर्धित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। व्यौहारी द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 निरसित हो जाने के पश्चात् 01.07.2017 के पश्चात् की अवधि हेतु मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी मात्र संगत अवधि हेतु प्रारूप –11 डाउनलोड करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी है, क्योंकि विवरणी प्रस्तुत करने से व्यौहारी सिस्टम से प्रारूप –11 डाउनलोड करने में समक्ष हो गये है। इस प्रकार व्यौहारी द्वारा सुनियोजित ढ़ग से प्रारूप –11 डाउनलोड किये गये है। तद्नुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है।

IX. यह कि फरवरी 2018 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित निर्माताओं डीजल/प्राकृतिक गैस के रियायती दर पर क्रय किये जाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारूप –डी की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है और व्यौहारी द्वारा इस सुविधा का लाभ दिनांक 22.03.2018 से लिया जा रहा है। चूंकि उक्त सुविधा 01.01.2018 से प्रारम्भ की गयी है तथा व्यौहारी द्वारा 12.03.2018 से इसका लाभ लिया जा रहा है। परन्तु 01 जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के मध्य क्रय की गयी प्राकृतिक गैस में पूर्ण दर से कर दिये जाने की बाध्यता थी। व्यौहारी द्वारा इस अवधि के सम्व्यवहारों को कर की रियायती दर से प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से ही प्रारूप –11 डाउनलोड किय गये तथा बिक्रेता व्यौहारी से प्राकृतिक गैस की व्यौहारी को की गयी बिक्री पर रियायती दर से कर आरोपित किये जाने के लिये निर्देशित किया गया होगा। इसी कारण बिक्रेता व्यौहारी द्वारा उक्त अवधि में व्यौहारी को बिक्री की गयी प्राकृतिक गै पर रियायती दर से कर प्रभारित किया गया है बिक्रेता द्वारा सम्बन्धित आवत्र हेतु प्रस्तुत विवरणी एवं संलग्न अनुलग्नक–2 से उक्त की पुष्टि होती है। ऐसे में अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय कि व्यौहारी द्वारा प्रारूप –11 का

डाउनलोड किया जाना आपराधिक दुराराय ये अभिप्रेत नहीं है, तर्कपूर्ण एवं तथ्यपरक नहीं है। तद्नुसार अपीलकर्ता अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

X. यह कि, अपीलकर्ता अधिकारी के निर्णय में अंकित यह तथ्य सत्य नहीं है कि विक्रेता व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में काई भी बिक्री प्रारूप –11 के विरूद्ध प्रदर्शित नहीं की गयी है, क्योंकि बिक्रेता व्यौहारी द्वारा जुलाई–सितम्बर आवर्त हेतु प्रस्तुत सावधिक विवरणी में अपीलकर्ता (व्यौहारी) को बिक्री की गयी प्राकृतिक गैस पर 3 प्रतिशत की रियायती दर से कर वसूलना घोषित किया गया है। संदर्भ हेतु बिक्रेता व्यौहारी द्वारा प्रश्नगत अवधि हेतु प्रस्तुत विवरणी एवं विक्रय सूची अनुलग्नक –। के रूप में संलग्न की जा रही है।

XI. यह कि, अपीलीय अधिकारी का यह मत त्रुटिपूर्ण है कि प्रश्नगत मामले में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु दूषित मंशा (Mens-rea) का होना आवश्यक है। प्रश्नगत मामलें में व्यौहारी पर धारा–63 के प्रावधानों के आलोक में अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। धारा–63 के अन्तर्गत असत्य/त्रुटिपूर्ण प्रमाणपत्र जारी करने से व्यौहारी द्वारा प्राकृतिक गैस के क्रय पर रियायती दर से 02 प्रतिशत दर से संदत्त किया गया है जबकि प्राकृतिक गैस के क्रय पर व्यौहारी को 20 प्रतिशत की दर से कर देने के दायी है। यह व्यौहारी की स्वाभाविक रूप से विधिक कर देयता है, इस कर को संदत करने सम्बन्धी आदेश पारण किये जाने हेतु दूषित मंशा की आवश्यकता नहीं है। अस्तु, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत एवं पुर्नजीवित किये जाने योय है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा परित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

XII. यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर विधि से सम्बन्धित कइ मामलों में अर्थदण्ड आरोपण हेतु दूषित मंशा (Mens-rea) को आवश्यक नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी राजस्थान राज्य बनाम सर्वश्री गुलजाग इण्डस्ट्रीज म्यूचुअल फंड एवं अन्य निर्णीत तिथि 23.05. 2006, 2003 की सिविल अपील सं0– 9523–9524, गुजरात राज्य और अन्य बनाम सॉ पाइप्स लि0 (जिसे जिन्दल सॉ के नाम से जाना जाता है) निर्णीत तिथि 17 अप्रैल 2023, सिविल अपीलीय, न्यायधिकार, 2022 की सिविल अपील संख्या–3481, मामलों में कर विधि के प्रावधानों के उल्लघन में अर्थदण्ड आरोपण हेतु दूषित मंशा/मेन्सरिया का होना आवश्यक उपाबन्ध नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन मामलों में कर विधि के उल्लघन होते ही अर्थदण्ड आकर्षित होने सम्बन्धी मत दिया गया है। इसी भॉति प्रश्नगत मामले में भी कर विधि के प्रावधानों का उल्लघन होने के कारण पारित अर्थदण्ड आदेश बहाल किये जाने योग्य है।

XIII. यह कि, माननीय वाणिज्य कर अधिकरण की अनुमति से यदि मामले में माननीय अधिकरण के समक्ष बहस के समय, कोई नया तथ्य, विषय, प्रकरण वाद के तथ्यों में जोड़ने, संयोजित करने की आवश्यकता अनुभूत होती है, तब ऐसे नये तथ्य जोड़ते, संयोजित करते हुए वाद के तथ्य/विधिक बिन्दु प्रस्तुत किये जाऐगे।

5. विभाग की ओर से श्री भुवन चन्द्र पाण्डे, विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त निम्न तथ्यों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।

Narrations of the Facts related to The Grounds of Appeal as Per The Documents Available in The Assessment File of The Seller.

Rockman Industries Pvt.Ltd. Haridwar bearing TIN 05007234091 hereby in this document shall be called as Respondent had purchased Natural Gas from Gas Authority of India (hereinafter referred as GAIL), in the second and third quarter of assessment year 2017-18, against form 11. Form 11 was a

special document issued to those Manufacturers, registered under Uttarakhand Value Added Tax Act 2005 (hereinafter referred the Act), who held recognition certificate as per the provisions of Section 4(7)(b) of the Act.

From 1 July 2017, with the promulgation of Uttarakhand Goods and Services Tax Act (hereinafter referred as the GST Act), the previous Act was repealed except saved otherwise by Section 174 of the GST Act. The relevant provision of the GST Act regarding repeal and savings reproduced here for kind reference "Section 174(1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act, (i) The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, except in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution, (ii) The Uttarakhand Cess Act, 2015, except in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution. (hereafter referred to as the repealed Acts) are hereby repealed. (2) The repeal of the said Acts and the amendment of the Acts specified in section 173 (hereafter referred to as "such amendment" or "amended Act", as the case may be) to the extent mentioned in sub-section (1) or section 173 shall not— (a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment or repeal; or Repeal and saving.

(b) affect the previous operation of the amended Acts or repealed Acts and orders or anything duly done or suffered thereunder". From the Plain reading of the above this come to light that after July 1 2017 the Act was repealed, except in respect of the goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

The Respondent dealer is a manufacturer of auto-parts, which are not included in the entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution. Further the Respondent dealer was no longer remained the registered dealer under the previous Act after its repeal from July1,2017.Therefore the Respondent dealer was not entitled to use any forms prescribed under the previous Act after its repeal for the transactions/purchases made after such repeal.

The Respondent dealer had made purchases of Natural Gas from GAIL in the second and third quarter of year 2017-18 at a concessional rate of 3% on the strength of form 11. From July 1 2017 the GST Act was promulgated and the Act was repealed. The above mentioned Form 11 was a certificate or declaration issued as per rule 23(1) of the Act. The Respondent dealer issued Form 11 to cover those purchases which had been made after the repeal of the Act.

The Respondent dealer had filed returns for the second and third quarter of financial year 2017-18 under repealed Act with an intention to download Form 11s, to cover the purchases of Natural Gas made after the repeal of the Act. It is evident from the fact that Respondent dealer has revised the above returns for two times after July 1, 2017.

The Respondent dealer had downloaded and issued Form 11s to GAIL, bearing serial no UKXI021819316690 on 08/02/2018 for the purchases of, Natural Gas of value Rs. 61197359, in the second quarter of financial year 2017-18 and form 11 bearing serial no UKXI021819316789 for the purchases of, Natural Gas of value Rs. 63453863, in the third quarter of financial year 2017-18.

Assessment file records of the GAIL reflects that, the Respondent dealer had not only downloaded these above mentioned Form 11s but also physically delivered them to GAIL. Photo copies of these forms have been taken from the original records of GAIL and attached herewith as Annexure A.

The GAIL had declared concessional sales of Natural Gas of Rs. 124651222 at lower rate of 3% instead of applicable rate of 20% to the Respondent dealer and had supported his claim by submitting the above mentioned Form 11s issued by the Respondent dealer. Copies of the quarterly returns with respective sale lists, filed by the GAIL attached herewith as Annexure B, which show that the Respondent dealer had paid tax at lower rate of 3%.

The GAIL in his returns for the second and third quarter of financial year 2017-18 declared sales to the Respondent dealer at the lower rate of 3% while the goods, sold attracted tax rate of 20%.

The assessment notice for hearing of the case of financial year 2017-18 to the GAIL was issued in the month of September 2021, while appearing for the hearing in compliance of the notice, the GAIL submitted Form11s issued by the Respondent dealer in support of the sale made at lower rate to the Respondent dealer.

Initially the assessing authority in his original assessment order inadvertently had allowed the benefit of these illegal forms to the GAIL. Copy of the original assessment order attached herewith as Annexure C.

When this fact came to light that the GAIL has taken the benefit of such form 11s which are issued for the period when the Act stood as repealed and these forms had no more legal validity. Consequent to this, the assessing authority sent a proposal according to the provisions of section 29(4) to the Additional Commissioner Garhwal Zone Haridwar through Joint Commissioner (Executive) with his office letter no 607/dated 16/03/2023, copy of the same is attached herewith as Annexure D.

Additional Commissioner Garhwal Zone Haridwar having received the above proposal for reassessment, went through the file records of the GAIL.After thoroughly going through the file records of GAIL, Additional Commissioner Garhwal Zone Haridwar came to the conclusion that there are enough reasons to believe to issue a notice under Section 29(4) of the Act to GAIL for reassessment of the case of year 2017-18. Accordingly he issued a notice vide letter no 47/dated 08/05/2023 to GAIL. Copy of the same attached herewith as Annexure E.

In compliance of the notice issued by the Additional Commissioner, the authorised person of GAIL submitted a written reply, after due consideration of the said reply, the Additional Commissioner decided to grant permission to the assessing authority vide his letter no 97 dated 26/05/2023 (copy of the same is attached herewith as Annexure F), to reassess the case as he observed that there was significant revenue loss due to wrongly claiming sales as concessional by the dealer on the basis of false certificate/declaration issued by the Respondent dealer .

Assessing Authority after getting due authorisation and permission from the Additional Commissioner, had issued a notice to the dealer, for reassessment of the financial year 2017-18 vide his letter no 114/dated 27/06/2023 (copy of the same is attached herewith as Annexure G). Further the Assessing Authority issued a show cause notice vide his letter no 181/dated 16/08/2023 (copy of the same is attached herewith as Annexure H), why not tax at applicable rate should be imposed, on the sale of Natural Gas of Rs. 145189486 on which concessional rate of tax of 3% on the strength of false certificate, have been charged.Here it is important to mention that in the above mentioned sale figures the questioned sales of Rs. 124651223 to the Respondent dealer is included.

Subsequent to the above notices, Assessing Authority while considering the reply filed by the GAIL, found no substantial material evidences in the said reply to sustain the claim of concessional sale on the basis of false certificates/declarations, made by the GAIL. Therefore he decided to impose full prescribed rate of tax on the sale of Natural Gas of Rs. 145189486, made in the second and third quarter of the year 2017-18, in which originally, tax had been charged at concessional rate. Copy of the reassessment order as passed under section 25(7) read with section 29(4) attached herewith as Annexure I.

In the above background written submissions to the appeal grounds filed by the Respondent dealer are found to be full of false and incorrect facts. As the Respondent dealer had claimed in his oral and written submission before the Honourable Tribunal that the Respondent dealer never took the benefits of the form 11s downloaded by him from the website, while as it is evident from the submission made in foregoing paras, the Respondent dealer not only downloaded these forms, but also physically delivered them to the GAIL. Copies of the said forms as taken from the file of GAIL, have been attached herewith as annexure A.

The false declaration given by the Respondent dealer to the GAIL caused revenue loss of significant value. Had the dealer would not give such false Form 11s to GAIL, revenue amounting to Rs. 24930245 would had come to the government treasury. By giving false Form 11s Respondent dealer paid tax amounting Rs. 3739537 only which was Rs. 21190708 lesser than actual due tax. This short unpaid tax could have been demanded by the reassessment order passed on 24/08/2023 only.

The provisions of Section 63 squarely cover the act done by the Respondent dealer. which is reproduced below for ready reference:

Section 63: Notwithstanding anything to the contrary contained elsewhere in this Act, and without prejudice to Section 58, a person who issues a false or wrong certificate or declaration prescribed under any provision of this Act or the Rules framed thereunder, to another person by reason of which a tax leviable under this Act on the transaction of purchase or sale made to or by such other person ceases to be leviable or becomes leviable at a concessional rate, shall be liable to pay on such transaction an amount which would have been payable as tax on such transaction had such certificate or declaration not been issued. Provided that before taking any action under this Section, the person concerned shall be given an opportunity of being heard. **Explanation:** Where a person issuing a certificate or declaration discloses therein his intention to use goods purchased by him for such purpose as will make the tax not leviable or leviable at a concessional rate but uses the same for a purpose other than such purpose, the certificate or declaration shall, for the purpose of this Section, be deemed to be wrong.

A perusal of the above provision clearly shows that the Respondent Dealer's act is fully covered under Section 63. Consequently, the order passed by the Assessing Authority making the Respondent Dealer liable to pay the amount of tax that would have been payable had such false declaration not been issued is perfectly legal and justified.

Therefore in the light of submissions made in the foregoing paras it is kindly requested that, Honourable Commercial Tax Tribunal Utttarkhand, may be pleased to upheld the order passed by the Assessing Authority.

6. विभाग की ओर से श्री भुवन चन्द्र पाण्डे, विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधार/अतिरिक्त अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

द्वारा पारित निर्णय को अनुचित बताया गया, तद्नुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. नियत सुनवाई की तिथि में अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश बब्बर, उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत मामले में निर्णय हेतु अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है—

"क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत व्यापारी द्वारा दिनांक 30.06.2017 के उपरांत प्रपत्र—11 के विरूद्ध रियायती दर से की गयी प्रान्तीय खरीद, वैट अधिनियम के अधीन पूर्ण देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में धारा 63 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं ?"

9. प्रथम अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रश्नगत वाद में उपलब्ध तथ्यों एवं आधारों पर अपीलार्थी की कोई दूषित मंशा निहित न होने सम्बन्धी तथ्य उद्धृत किया गया है। अपने निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित आदेश को अपास्त करते हुए निर्णय पारित किया गया।

10. प्रश्नगत वाद् के तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यौहारी द्वारा दिनांक 30.06.2017 के पश्चात् की गयी प्रान्तीय खरीद हेतु दिनांक 30.07.2021 को प्रपत्र—11 UKX1021819316789 एवं UKX1021819316690 जारी किये गये। उक्त प्रपत्र वैट अधिनियम से सम्बन्धित होने के कारण एवं जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत की गयी खरीद हेतु वैध न होने के कारण करनिर्धारण अधिकारी द्वारा व्यौहारी को पत्र संख्या—168 दिनांक 26.08.2021 से वैट अधिनियम की धारा—63 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के क्रम में दाखिल उत्तर में उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा *"डाउनलोड फार्मों को विक्रेता व्यापारी सर्वश्री गेल इण्डिया, देहरादून को हैण्ड ओवर नहीं किये गये"* यही तथ्य उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये, **जबकि विक्रेता व्यापारी गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0(GAIL) की वित्तीय वर्ष 2017—18 की करनिर्धारण पत्रावली पर उक्त प्रपत्र—11 उपलब्ध पाये गये। विक्रेता व्यापारी के मूल करनिर्धारण आदेश में उक्त प्रपत्र—11 का लाभ प्रदान करते हुए रियायती दर से करारोपण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में बाद में पुनर्करनिर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यौहारी द्वारा करापवंचन की मंशा के अधीन न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।**

10. करनिर्धारण अधिकारी द्वारा व्यौहारी को पत्र संख्या—168 दिनांक 26.08.2021 से वैट अधिनियम की धारा—63 के अन्तर्गत नोटिस जारी **हो जाने के उपरांत ही उनके द्वारा दिनांक 03.09.2021 को दाखिल अपने उत्तर में उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.12.2017 के बीच रियायती दर से की गयी खरीद हेतु दो प्रपत्र—11 जारी किये गये हैं।**

11. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यौहारी द्वारा 01.07.2017 के पश्चात् मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 28.10.2017 को द्वितीय तिमाही की विवरणी प्रस्तुत की गयी है। जिसे व्यौहारी द्वारा 21.12.2017 एवं 07.02.2018 को परिवर्धित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्य से विभाग का यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि **"व्यौहारी द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 निरसित हो जाने के पश्चात् 01.07.2017 के पश्चात् की अवधि हेतु मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी मात्र संगत अवधि ह्यु प्रारूप –11 डाउनलोड करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गयी है, क्योंकि विवरणी प्रस्तुत करने से व्यौहारी सिस्टम से प्रारूप –11 डाउनलोड करने में समक्ष हो गये है। इस प्रकार व्यौहारी द्वारा सुनियोजित ढ़ग से प्रारूप–11 डाउनलोड किये गये है।"**

12. व्यौहारी इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि 01.07.2017 के पश्चात् प्रारूप –11 प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसके स्थान पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना सं0–1000/2017 29.12.2017 द्वारा प्रारूप–डी की व्यवस्था प्रान्त में की गयी है और व्यौहारी द्वारा दिनांक 12.03.2018 से विधिवत प्रारूप–डी प्राप्त किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यौहारी इस तथ्य से भलिभांति भिज्ञ थे कि दिनांक 30.06.2017 के उपरांत प्रपत्र–11 के विरूद्ध खरीद करने हेतु अधिकृत नहीं हैं, तब उनके द्वारा प्रपत्र–11 को विभागीय पोर्टल से डाउनलोड करना एवं उक्त प्रपत्रों को विक्रेता व्यौहारी को प्रदान करना एक **Conscious & deliberate effort** की श्रेणी में आता है।

13. उपर्युक्त विवेचित एवं विश्लेषित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि करनिर्धारण अधिकारी यदि स्वतः संज्ञान लेते हुए व्यौहारी को अनधिकृत रूप से जी0एस0टी0 अवधि में प्रपत्र–11 के विरूद्ध की गयी खरीद हेतु नोटिस जारी नहीं करते तो व्यौहारी उक्त तथ्य को विभाग के समक्ष प्रस्तुत करते। इस प्रकार वह अपने करापवंचनात्मक कृत्य में सफल हो जाते।

14. अतः उपर्युक्त विवेचित एवं विश्लेषित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि व्यौहारी फर्म द्वारा पूर्ण दर अर्थात् 20 प्रतिशत की दर से खरीद करने से बचने के प्रयास हेतु वैट अधिनियम की धारा–63 का उल्लंघन करते हुए प्रपत्र–11 जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विभाग द्वारा दाखिल यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती

है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है एवं करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय धारा–63 का समर्थन किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अपीलार्थी विभाग द्वारा दाखिल द्वितीय अपील संख्या–17/2025 (वर्ष 2017–18)धारा 63 के अन्तर्गत स्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है एवं करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया जाता है।

ह0/दि0– 26/02/2026

(राकेश वर्मा)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

ह0/दि0– 26/02/2026

(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांकः– 26 फरवरी, 2026

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/